

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2610
उत्तर देने की तारीख : 07.08.2024
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

2610. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत एक वर्ष के दौरान पंजाब में पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के कितने छात्रों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है;
- (ख) सरकार द्वारा पंजाब में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं तथा ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए कितने छात्र पात्र हैं;
- (ग) क्या केंद्र/राज्य सरकार, पंजाब में अल्पसंख्यक समुदायों के लड़के-लड़कियों के लिए कोई छात्रावास चलाती है तथा यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक छात्रावास की क्षमता कितनी है और उनमें कितने छात्र हैं तथा ऐसे छात्रावासों की स्थिति क्या है;
- (घ) पंजाब में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों में साक्षरता दर का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं, जिनके नाम हैं (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति। पंजाब राज्य में पात्र और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) पंजाब सरकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एंड कोर्सेज, मोहाली में लड़कों एवं लड़कियों के लिए दो छात्रावास चला रहा है जिनमें प्रत्येक के लिए 60-60 सीटों की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सीटें उपलब्ध हैं।

(घ) पंजाब सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, साक्षरता दर के संबंध में धर्म-वार राज्य-विशिष्ट डेटा जनगणना रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, पंजाब की साक्षरता दर 75.84% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.44% और महिला साक्षरता दर 75.23% है।

अनुबंध

वर्ष	योजना	पात्र छात्रों की संख्या	पुरस्कृत छात्रों की संख्या
2022-23	मैट्रिक-पूर्व	42,447	15,561
2022-23	मैट्रिकोत्तर	53,100	7,482

नोट: आकलन वर्ष 2022-23 के लिए नवीकरण श्रेणी के अंतर्गत संवितरण कर दिया गया है।
